महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
# MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED
कार्यालय कार्यकारी निदेशक ईस्टर्न कोर्ट नई दिल्ली-01
**OFFICE OF THE EXECUTIVE DIRECTOR, EASTERN COURT ND-01**

आज़ादी का अमृत महोत्सव

NO: -STA-II/EPS-95/HIGHER PENSION/2023/
Dated at New Delhi The 02 June 2023

## NOTICE REGARDING HIGHER PENSION UNDER SCHEME EPS 95.

MTNL Delhi Unit has received about 3100 higher pension forms out of which approximately 2350 are of retired and 750 are of working employees. While processing the Joint option forms under higher pension scheme following errors are observed: -

1. Several Retired applicants have not furnished their "date of leaving EPS" in the EPFO portal while applying online, such cases are mainly observed for those who have retired under VRS 2019 while submitting their joint option forms for higher pension. This is resulting in mismatch of data while uploading their wage details.
2. Some Retired applicants have entered their "date of leaving EPS" as the date of completion of 60 years of age, whereas as per EPFO, date of leaving is available in PPO Part(A).
3. Some retired applicants have submitted their date of joining EPS as their date of appointment in DOT, which is resulting in mismatch of data. Whereas in such case date of joining in EPS shall be date of absorption in MTNL for DOT recruited employees and Date of joining in MTNL for MTNL recruited employees. This data is available in the PPO Part(A).

Because of these errors the authorize signatory would not be able to approve the cases due to data mismatch in joint options form for higher pension under EPS 95.

All above categories of applicants are requested/advised to kindly correct these errors in online application, which can be only done by deleting the already submitted applications and by reapplying with the correct data. The "date of joining EPS" and "date of leaving EPS" should be taken as per PPO part(A) or as defined above.

It may be clarified that in the case of any data mismatch the employer/authorized signatory would not be in position to approve the joint declaration forms. Hence, it would be in the best interest of the employee to check their online higher pension forms for such errors and correct them positively by 26/06/2023 i.e the last date prescribed by EPFO for submission of higher pension forms.

The list of applicants having error in their online higher pension forms is being generated on daily basis and will be uploaded on the MTNL Intranet and also in MTNL Website i.e. **mtnldelhi.in**. The applicants can check the list and do the needful as instructed above.

This has got the approval of competent authority.

Sunil 02/06/23

**(SUNIL KUMAR SINGH)**
**Authorized Signatory of MTNL for EPFO**

**Copy to:-**

1. Director(HR & EB) MTNL.
2. Executive Director, MTNL,New Delhi for kind information please.
3. GM(HR & Admin) CO ,MTNL
4. All GMs, MTNL,New Delhi for giving wide circulation to all the employees under their units.
5. GM(IT) unit for updating the list in MTNL website on daily basis.
6. General Secretary MTNL Mazdoor Sangh, T-28-A, Atul Grove Road, New Delhi for giving wide circulation to the employees through their Union platform.
7. All Authorized Unions /Associations for giving wide circulation to the employees through their Union platform.
8. Office copy.

**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड**
**कार्यालय कार्यकारी निदेशक, ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली-110001**

संख्या - एसटीए-II-ईपीएस/95/हायर पेंशन/2023
दिनांक 02 जून,2023

**कर्मचारी पेंशन योजना-95 के अंतर्गत उच्चतर पेंशन के संबंध में नोटिस**

एमटीएनएल दिल्ली इकाई को उच्चतर पेंशन के लगभग 3100 प्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से लगभग 2350 सेवानिवृत्त एवं 750 कार्यरत कर्मचारियों के हैं, उच्चतर पेंशन योजना के अंतर्गत संयुक्त विकल्प प्रपत्रों में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं -

1) बहुत से सेवानिवृत्त आवेदनकर्ताओं ने आनलाइन आवेदन करते समय ईपीएफओ पोर्टल में कर्मचारी पेंशन योजना छोड़ने की दिनांक नहीं भरी है । ऐसे मामले मुख्य रूप से संयुक्त विकल्प प्रपत्र जमा कराते समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के संबंध में पाए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके वेतन विवरण अपलोड करते समय डाटा का मिलान नहीं हो पा रहा है।
2) कुछ सेवानिवृत्त आवेदनकर्ताओं ने कर्मचारी पेंशन योजना छोड़ने की दिनांक को आयु के साठ वर्ष पूरा होने की दिनांक के रूप में भरा है जबकि ईपीएफओ के अनुसार छोड़ने की दिनांक पीपीओ भाग (ए) से ली जानी चाहिए।
3) कुछ सेवानिवृत्त आवेदनकर्ताओं ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने की दिनांक को दूरसंचार विभाग में अपनी नियुक्ति की दिनांक भरा है जिसके परिणामस्वरूप डाटा का मिलान नहीं हो पा रहा है । जबकि इस मामले में कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने की दिनांक दूरसंचार विभाग द्वारा भर्ती कर्मचारियों के लिए एमटीएनएल में विलयन की दिनांक तथा एमटीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए एमटीएनएल में कार्यग्रहण की दिनांक होगी।

इन त्रुटियों के कारण प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कर्मचारी पेंशन योजना-95 के अंतर्गत उच्चतर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्पों में डाटा मेल न खाने के कारण मामलों को अनुमोदित करने की स्थिति में नहीं होंगे।

उपर्युक्त प्रकार के सभी आवेदनकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है/सलाह दी जाती है कि वे कृपया आनलाइन आवेदनपत्र में इन त्रुटियों को ठीक कर लें । ऐसा केवल पहले से प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्रों को हटाकर तथा सही डाटा के साथ दोबारा आवेदन करने पर ही किया जा सकता है।

कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने तथा छोड़ने की दिनांक पीपीओ भाग (ए) अथवा उपर परिभाषित के अनुसार ली जानी चाहिए।

यह स्पष्ट किया जाता है कि नियोक्ता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता किसी भी बेमेल डाटा की स्थिति में संयुक्त घोषणा प्रपत्रों को अनुमोदित नहीं करेंगे । अतः यह कर्मचारियों के हित में होगा कि वे ऐसी त्रुटियों के लिए अपने आनलाइन उच्चतर पेंशन प्रपत्रों की जांच करें तथा उन्हें 26-6-2023 अर्थात उच्चतर पेंशन प्रपत्रों को जमा करने के लिए ईपीएफओ द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अवश्य ही ठीक कर लें।

आनलाइन उच्चतर पेंशन प्रपत्रों में त्रुटि वाले आवेदकों की सूची दैनिक आधार पर बनाई जा रही है तथा एमटीएनएल इंटरानेट एवं एमटीएनएल वेबसाइट अर्थात **mtnldelhi.in** पर भी अपलोड की जाएगी। आवेदक इस सूची को जांच सकते हैं तथा उपरोक्त निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

सुनील 02/6/23
**(सुनील कुमार सिंह)**
**ईपीएफओ के लिए एमटीएनएल के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

**प्रतिलिपि -**
1) निदेशक (मानव संसाधन तथा ईबी) एमटीएनएल।
2) कार्यकारी निदेशक, एमटीएनएल, नई दिल्ली को कृपया सूचनार्थ।
3) महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) निगम कार्यालय, एमटीएनएल।
4) समस्त महाप्रबंधक, एमटीएनएल, नई दिल्ली को उनकी इकाइयों के अंतर्गत सभी कर्मचारियों में व्यापक परिचालन हेतु।
5) महाप्रबंधक (आईटी) को एमटीएनएल वेबसाइट में सूची को अद्यतन करने के लिए।
6) महासचिव एमटीएनएल मजदूर संघ, टी-28-ए, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली को उनके यूनियन प्लेटफार्म के माध्यम से कर्मचारियों में व्यापक परिचालन हेतु।
7) कार्यालय प्रति ।